प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 22 मई, 2026*

विषय:- जिला कारागार सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती राजमती पत्नी श्री मोती, निवासी जनपद-सिद्धार्थनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-31281/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-21.07.2025, दिनांक 05.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती राजमती पत्नी श्री मोती, ग्राम-बौनाजोत थाना-त्रिलोकपुर, जनपद-सिद्धार्थनगर का निवासी है। महिला बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 02.03.2013 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-67/2013 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, (बांसी), सिद्धार्थनगर के दण्डादेश दिनांक 30.04.2015 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में महिला बन्दी की अपील लम्बित है। महिला बंदी द्वारा दिनांक 15.12.2016 तक 02 वर्ष 04 माह 22 दिन की अपरिहार तथा 02 वर्ष 06 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार महिला बन्दी की 58 वर्ष की आयु एवं मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 15.12.2016 तक अपरिहार 02 वर्ष 04 माह 22 दिन तथा सपरिहार 02 वर्ष 06 माह 19 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती राजमती (बन्दी संख्या-29/2015) पत्नी श्री मोती, निवासी जनपद-सिद्धार्थनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-593/2026/1756(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार सिद्धार्थनगर।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।